न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।

बनाम

मकान खपड़ा का, मालिक (सुखदेव चौधरी)

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा, केस संख्या– **461/2020–21**,

केस का प्रकार– बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त मकान खपड़ा का के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–: आदेश :– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्यनिषेध, **सहरसा के पत्रांक 211/म0नि0 एवं दिनांक–10.06.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज विशेष वाद संख्या– 631/2019, में जप्त चुलाई शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त मकान खपड़ा का के अधिहरण से संबंधित** है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान–सिटानाबाद वार्ड नं0 13, थाना–सिमरी बख्तियारपुर, घटना की तिथि–27.12.2019 के साथ वर्णित है कि– "गुप्त सूचना के आधार पर अपने अधीनस्थ उत्पाद कर्मी प्रतिनियुक्त सैप व गृहरक्षक के साथ उपयुक्त अंकित स्थान पर लगभग पौने तीन बजे शाम में पहुचा। उत्पाद को देखकर आए लोगों में से दो व्यक्ति को स्वतंत्र साक्षी मानकर टीम के सभी सदस्यों ने अपना–अपना जमातलाशी उपरांत गुप्त सूचना के अनुसर तलाशी ली गई। **तलाशी क्रम में सुखदेव चौधरी के कब्जे के आवासीय घर से 05 लीटर अ0म0चु0 शराब बरामद किया। घर में उपस्थित व्यक्ति से पुछताछ करने पर अपने कब्जे का आवासीय घर बताया।** नाम व पता कंडिका 02 के अनुसार बताया। तत्पश्चात् बि0म0नि0 व उ0अधि0 2018 की धारा 30(ए) के अन्तर्गत अवैध उत्पाद वस्तु को जप्त कर जप्त नमुना प्रदर्श तैयार किया। तत्पश्चात् बि0म0नि0 व उ0अधि0 2018 के अन्तर्गत विधिवत गिरफ्तार किया, आवश्यक कानुनी कारवाई घटनास्थल पर विधिवत सम्पन्न की गई। जप्ती सुची की एक प्रति अभियुक्त को दी गई।" उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण वाद सं0–633/2020–21 के अन्तर्गत दिनांक–15.09.2020 को विनष्ट करने का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त मकान खपड़ा का के अधिहरण के बिन्दु पर प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना	

6

	निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस के आलोक में प्रतिवादी सुखदेव चौधरी, पिता– स्व० कैलू चौधरी, साकिन– सिटानाबाद वार्ड नं0 13, थाना– सिमरी बख्तियारपुर, जिला– सहरसा उपस्थित हुए। उनके ओर से दिनांक 24.11.2020 को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु समयावेदन दिया गया। बाद की तिथियों में वे अनुपस्थित रहने लगे और उनके ओर से कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया। राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि मकान खपड़ा का प्रयोग शराब के अवैध भंडारण में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त मकान खपड़ा को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने के कारण राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना। चूँकि जप्त परिसर में बहुत ही कम मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई है एवं उक्त परिसर के संबंध में दी गई विवरणी अपूर्ण है। ऐसी स्थिति में जप्त परिसर का अधिहरण हेतु प्राप्त प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अतः उक्त अधिहरण वाद को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं शुद्धिकृत 8/1/21 समाहर्त्ता सहरसा। 8/1/21 समाहर्त्ता सहरसा।	

ज्ञापांक 24 /न्याया०, सहरसा, दिनांक 08.01.21

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

8.01.21

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

08/01/21